



वत्संभ्रं भगवतु  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 15.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Ajay Nishad** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **55** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	निशांत कुमार	उमा शंकर सहनी, मो-9504082091	6	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
2	ईशान भारद्वाज	विकास कुमार, मो-8252811852	1	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
3	अर्णव कुमार	श्री रंजीत कुमार सिंह	1	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
4	हिमांशु कुमार	यशवीर कुमार सिंह, मो-9973058300	6	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
5	शगुन सिंह	कौशल किशोर, मो-7004658218	8	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
6	आदित्य राज	सुनिल कुमार, मो-7488192514	9	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
7	साहिल राज	पंकज कुमार, मो-9631246753	7	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
8	साहिल कुमार	चंदेश्वर कुमार, मो-9525299036	5	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
9	सुधान्सु रंजन	राकेश रंजन, मो-9939297290	6	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर
10	विदिशा झा	डॉ. स्वैताव , मो-9430678478	4	गन्नीपुर, मुजफ्फरपुर

पु. 0192

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Ajay Nishad माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **PATNA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)